उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

विविध आवेदन सं0–75/2022–23

मीरा मालतो

बनाम्

सुशीला मालतो

–: आदेश :–

दिनांक 25/1/23

वर्तमान वाद की प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के डब्लू0पी0(एस0) नं0–984/2014 में दिनांक–09.12.2021 के पारित आदेश के आलोक में प्रारम्भ किया गया है एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के डब्लू0पी0(एस0) नं0–984/2014 में दिनांक–09.12.2021 के पारित आदेश के आलोक में उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं विज्ञ सरकारी वकील को सुना तथा अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

आवेदिका मीरा मालतो के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रारम्भ में सुशीला मालतो, पति–एतवारी मालतो, सा0–जोलोपहाड़, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा, आँगनबाड़ी केन्द्र, जोलोपहाड़ पर सेविका के पद पर नियुक्त थी। लेकिन बाद में उनकी नियुक्ति को काम में गड़बड़ी के कारण समाप्त किया गया। तत्पश्चात उक्त रिक्ति के विरूद्ध सेविका के चयन के लिए उप विकास आयुक्त, गोड्डा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोआरीजोर, प्रखंड सांख्यिकीय पर्यवेक्षक, बोआरीजोर, महिला प्रसार पदाधिकारी, बोआरीजोर, महिला पर्यवेक्षिका, बोआरीजोर एवं मुखिया की उपस्थिति में दिनांक–21.10.2011 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। उक्त ग्राम सभा में मीरा मालतो को उनके पात्रता, योग्यता एवं मतों के आधार पर उक्त केन्द्र के आँगनबाड़ी सेविका के पद पर चयन किया गया। चूँकि उक्त ग्राम सभा में मीरा मालतो को 50 मत एवं सुशीला मालतो को 3 मत प्राप्त हुए थे। उक्त ग्राम सभा के चयन के आधार पर पत्रांक–3/5–134/2002–585 के आलोक में नियम 11(बी0) के तहत आदेश ज्ञापांक–85/बाल विकास दिनांक–17.04.2012 के द्वारा मीरा मालतो को उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र के सेविका पद पर नियुक्त किया गया। इसके बाद जाँच कोर्स प्रशिक्षण के लिए दिनांक–15.04.2013 से दिनांक–18.05.2013 तक भेजा गया, जिसे आवेदिका ने सफलतापूर्वक प्राप्त किया था। उक्त नियुक्ति के विरूद्ध विपक्षी सुशीला मालतो के द्वारा उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में विविध अपील वाद सं0–47/2013 दायर किया था। लेकिन

उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में अपील वाद लंबित रहते हुए विपक्षी सुशीला मालतो के द्वारा आवेदिका को बिना पक्षकार बनाये माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में डब्लू0पी0(एस0) नं0–2790/2013 दायर किया था और उक्त रिट याचिका में दिनांक–28.10.2013 को पारित आदेश के द्वारा उपायुक्त, गोड्डा को उक्त आदेश की तिथि से दो सप्ताह के अवधि के अंदर तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का निदेश देते हुए उक्त याचिका का निष्पादन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के उक्त आदेश के आलोक में विविध अपील वाद सं0–47/2013–14 में दिनांक–23.12.2013 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के द्वारा आवेदिका मीरा मालतो के चयन को निरस्त करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बोआरीजोर को आदेश दिया गया कि अपीलकर्त्ता सुशीला मालतो के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में कारण–पृच्छा की माँग की जाय एवं प्राप्त स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होने पर तुरंत लगाये आरोपों की जाँच के लिए गहराई से जाँच पड़ताल प्रारंभ की जाय तथा आरोप प्रमाणित होने पर उक्त आँगनबाड़ी के रिक्त सेविका पद पर नियमानुसार चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय। उक्त विविध अपील वाद सं0–47/13–14 के आदेश के आधार पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बोआरीजोर ने अपने पत्रांक–16/बाल विकास दिनांक–20.01.2013 के द्वारा आवेदिका के नियुक्ति को समाप्त किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका मीरा मालतो के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के डब्लू0पी0(एस0) नं0–984/2014 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची ने आदेश दिनांक–09.12.2013 के द्वारा विविध अपील वाद सं0–47/2013–14 में दिनांक–23.12.2013 के पारित आदेश को निरस्त किया गया एवं नया आदेश पारित करने के लिए वापस भेज दिया है और चूँकि मीरा मालतो का चयन ग्राम सभा के द्वारा किया गया था। जबकि विपक्षी सुशीला मालतो को ग्राम सभा द्वारा नहीं चयन किया गया है। इसलिए आवेदिका को उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र का सेविका पद पर नियुक्त करने की कृपा की जाय।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी सुशीला मालतो का चयन सेविका के पद पर दिनांक–20.08.2009 ई0 को आयोजित आम सभा में सर्व सम्मति से किया गया। तत्पश्चात बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बोआरीजोर द्वारा चयन पत्र दिनांक–20.08.2009 को ही निर्गत किया गया एवं तभी से सुशीला मालतो आँगनबाड़ी केन्द्र, जोलोपहाड़ में

सेविका के पद पर कार्यरत है। दुर्भावना से ग्रसित होकर दिनांक–17.09.2011 को तेलोग्राम डाकबंगला में आयोजित जनता दरबार में 29 ग्रामीणों ने टीप निशान वो हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र तत्कालीन उपायुक्त, गोड्डा को समर्पित किया, जिसमें सेविका सुशीला मालतो पर यह आरोप लगाया गया कि वह बच्चों को प्रतिदिन नहीं पढ़ाती है एवं आज तक पोषाहार का वितरण नहीं की है। आवेदन में आरोपों के जाँच की मांग की गई थी। लेकिन तत्कालीन उपायुक्त, गोड्डा द्वारा जाँच करने के बजाय सेविका सुशीला मालतो के चयन को ही रद्द कर दिया। ग्रामीणों का आवेदन एवं चयन रद्द करने संबंधित आदेश की छायाप्रति संलग्न है। इस संदर्भ में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा से सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त सूचना के अनुसार सेविका सुशीला मालतो को महिला पर्यवेक्षिका एवं उच्च पदाधिकारी ने इस संबंध में चेतावनी या स्पष्टीकरण का कोई पत्र कभी नहीं दिया है। दिनांक–21.10.2011 को तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गोड्डा क्षेत्र भ्रमण के क्रम में जोलोपहाड़ पहुँचे एवं सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेश पत्रांक–585 दिनांक–02.06.2006, पत्रांक–255 दिनांक–27.02.2007 एवं पत्रांक–691 दिनांक–14.05.2007 के विपरीत सेविका सुशीला मालतो के स्थान पर मीरा मालतो का चयन कर लिया गया। उप विकास आयुक्त, गोड्डा द्वारा पोषाहार पंजी का अवलोकन तक नहीं किया गया। अगर अवलोकन किया जाता तो उन्हें आरोपों के संदर्भ में सच्चाई की जानकारी मिलती। उन्हें यह भी ज्ञात हो जाता कि सुशीला मालतो के विरूद्ध जिन–जिन ग्रामीणों वो प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है, उनकी मौजूदगी में पोषाहार का वितरण सेविका सुशीला मालतो ने किया है और सभी पंजी में उनका हस्ताक्षर/टीप निशान मौजूद है। अगर उप विकास आयुक्त, गोड्डा पंजी की जाँच वो अवलोकन करते तो उन्हें यह भी ज्ञात हो जाता कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बोआरीजोर द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/ कर्मचारी की उपस्थिति में पोषाहार वितरण हुआ है, जिस कारण उपायुक्त, गोड्डा द्वारा आरोपों की जाँच किये बगैर सुशीला मालतो को अपने प्रतिरक्षण में अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बिना एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के विपरीत सुशीला मालतो का चयन रद्द किया गया। उसी प्रकार उप विकास आयुक्त, गोड्डा द्वारा भी मामले की तहतक जाँच किये बगैर एकाएक बिना किसी पूर्व सूचना के सुशीला मालतो के स्थान पर श्रीमति मीरा मालतो का चयन कर लिया गया, जो सरकार द्वारा निर्धारित चयन की प्रक्रिया का

सर्वथा उल्लंघन है। सेविका सुशीला मालतो ने तत्कालीन उपायुक्त, गोड्डा के समक्ष आँगनबाड़ी सेविका के पद से हटाने के विरूद्ध सेवा अपील दायर किया। सुशीला मालतो द्वारा दायर सेवा अपील पर जब तत्कालीन उपायुक्त, गोड्डा ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो सुशीला मालतो ने माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में डब्लू0पी0(एस0) नं0–2790/2013 दायर किया। माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में डब्लू0पी0(एस0) नं0–2790/2013 में दिनांक–28.10.2013 को पारित आदेश अनुसार सुशीला मालतो द्वारा पूर्व में दायर सेवा अपील को मिस अपील नं0–47/13–14 के तहत सुनवाई करने हेतु उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय में नोटिश सुशीला मालतो को प्राप्त हुआ। उपायुक्त, गोड्डा के न्यायालय से मिस अपील नं0–47/13–14 का नोटिश प्राप्त करने के पश्चात सुशीला मालतो अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुई एवं अपना लिखित बहस भी दाखिल किया एवं तत्कालीन विद्वान सरकारी वकील द्वारा भी लिखित पक्ष दाखिल किया गया। उपायुक्त, गोड्डा ने मिस अपील नं0–47 /13–14 में उभय पक्षों का बहस सुनने के उपरांत दिनांक–23.12.2013 को निर्णय दिया। उपायुक्त गोड्डा द्वारा मिस अपील नं0–47/13–14 के आदेश दिनांक–23.12.2013 के अनुसार मीरा मालतो का आँगनबाड़ी सेविका के पद पर दिनांक–21.10.2011 को ग्राम सभा में हुए चयन को निरस्त कर दिया। साथ ही सुशीला मालतो के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की सम्यक जाँच हेतु बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बोआरीजोर को आदेशित किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बोआरीजोर ने जाँच पड़ताल की तथा सुशीला मालतो के विरूद्ध हुई जाँच में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी तथा पूछे गये स्पष्टीकरण से संतुष्ट होकर सुशीला मालतो को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बोआरीजोर ने जोलोपहाड़ आँगनबाड़ी के सेविका के पद पर पुनः बहाल कर लिया और आज तक सुशीला मालतो कार्यरत है। सुशीला मालतो को जोलोपहाड़ आँगनबाड़ी सेविका के पद पर बहाल करने के विरोध में मीरा मालतो ने माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची के समक्ष डब्लू0पी0(एस0) नं0–984/2014 मीरा मालतो बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य दाखिल किया। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के डब्लू0पी0(एस0) नं0–984/2014 में दिनांक–09.12.2021 को आदेश पारित किया गया है। चूँकि सुशीला मालतो का चयन नियमानुसार सरकार के विभागीय आदेश के तहत हुआ है एवं कभी भी कोई नियम के विरूद्ध

कार्य नहीं किया है। इसलिए सुशीला मालतो को आँगनबाड़ी केन्द्र जोलोपहाड़ के सेविका के पद पर कार्य करने अनुमति को बरकरार रखने की कृपा की जाय।

इस संबंध में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–381/जि0स0क0 दिनांक–17.02.2023 के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है कि आँगनबाड़ी केन्द्र जोलोपहाड़ प्रखंड बोआरीजोर में सेविका सुशीला मालतो कार्यरत थी। दिनांक–17.09.2011 को ग्राम तेलोडाक बंगला जनता दरबार में आँगनबाड़ी केन्द्र जोलोपहाड़ की सेविका सुशीला मालतो पर ग्रामीणों द्वारा लगाये गये आरोप के आधार पर संबंधित बाल विकास पदाधिकारी, बोआरीजोर ने कोई कारण–पृच्छा की मांग किये बिना कार्यरत सेविका सुशीला मालतो का चयन रद्द कर दिया गया। इस संदर्भ में पुनः दिनांक–21.10.2011 को उप विकास आयुक्त, गोड्डा द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के क्रम में बिना कोई सूचना के ग्राम सभा आहुत कर श्रीमति मीरा मालतो, पति–एतवारी मालतो को चयन सेविका पद पर कर दिया गया। दिनांक–21.10.2011 को उप विकास आयुक्त, गोड्डा द्वारा आहुत ग्राम सभा में चयनित आवेदिका मीरा मालतो के विरूद्ध उपायुक्त महोदय को न्यायालय में मिस अपील नं0–47/13–14 से निरस्त करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बोआरीजोर के उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र जोलोपहाड़ पर सेविका पद पर नियमानुसार चयन प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया। वर्तमान में सुशीला मालतो आँगनबाड़ी केन्द्र जोलोपहाड़ में सेविका के पद पर कार्यरत है।

उपरोक्त तथ्यों एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आँगनबाड़ी केन्द्र, जोलोपहाड़, प्रखंड–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के सेविका पद पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बोआरीजोर के ज्ञापांक–28/मु0 दिनांक–17.02.2010 के द्वारा सुशीला मालतो, पति–एतवारी मालतो, सा0–जोलोपहाड़, पो0–डूमरिया, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा को चयन पत्र निर्गत किया गया था। आवेदिका मीरा मालतो भी अपने आवेदन में स्वीकार कर रही है कि प्रारम्भ में उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र के सेविका पद पर सुशीला मालतो नियुक्त थी। लेकिन आवेदिका मीरा मालतो का आरोप है कि सुशीला मालतो को काम में गड़बड़ी के कारण उनकी नियुक्ति को समाप्त किया गया था एवं दिनांक–21.10.2011 के आयोजित ग्राम सभा द्वारा मीरा मालतो को उक्त आँगनबाड़ी के सेविका के पद पर नियुक्त किया गया।

लेकिन वर्तमान वाद में दोनों पक्ष के द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–1934/जि0स0क0 दिनांक– 12.11.2022 से जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र की सेविका सुशीला मालतो को कोई कारण–पृच्छा की माँग किये बिना ही उनके चयन को रद्द किया गया था। जबकि नियमावली में उल्लेख है कि उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर उप विकास आयुक्त, गोड्डा के अनुमोदन के पश्चात उन्हें चयन मुक्त किया जा सकता है। विपक्षी सुशीला मालतो का कथन है कि विविध अपील वाद सं0–47/2013–14 में दिनांक–23.12.2013 में पारित आदेश के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बोआरीजोर ने जाँच पड़ताल की तथा सुशीला मालतो के विरूद्ध हुई जाँच में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं पायी गयी तथा पूछे गये स्पष्टीकरण से संतुष्ट होकर सुशीला मालतो को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बोआरीजोर ने जोलोपहाड़ आँगनबाड़ी के सेविका के पद पर पुनः बहाल कर लिया है और आज तक सुशीला मालतो कार्यरत है। आवेदिका मीरा मालतो के द्वारा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे विपक्षी सुशीला मालतो के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अतएव आवेदिका मीरा मालतो का आवेदन स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदिका मीरा मालतो का आवेदन खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.09.05 12:28:16 +05:30
Location: 172.21.32.1